330

संख्याः– /XVII–3/14–09(31)/2014

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 दिनांकः 05 मार्च, 2014

विषयः–विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3012 दिनांक 18 फरवरी, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia Grant) राज्य की ओर से पूरे जीवन काल में एक बार अनुमन्य किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) शहीद के विवाहित होने पर

(I) वीर नारी – रू0 6.00 लाख
माता/पिता – रू0 4.00 लाख

(नोट– माता–पिता के जीवित न होने पर सम्पूर्ण धनराशि वीर नारी को दी जायेगी और वीर नारी के जीवित न होने पर रू0 4.00 लाख माता–पिता को तथा रू0 6.00 लाख सभी आश्रित बच्चों में बराबर बांटी जायेगी)।

(II) पत्नी व माता/पिता के जीवित न होने की स्थिति में – रू0 10.00 लाख की धनराशि सभी बच्चों में बारबर बाटी जायेगी।

(ख) शहीद के अविवाहित होने पर – माता/ पिता को रू0 10.00 लाख मात्र

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे
2. उक्त सुविधा/लाभ को नियमानुसार उपलब्ध कराने के लिए निदेशालय स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश/नियमावली बनायी जायेगी।

3. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों से लाभार्थियो की सूची प्राप्त कर नियमानुसार वरीयता सूची निर्मित कर सहायता प्रदान की जायेगी, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी ने राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य योजना से इस हेतु पूर्व में सहायता प्राप्त न की हो।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या–330/xxvii(1) दिनांक 05 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 169 /XVII–3/14–09(31)/2014 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

10. **प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।**
11. **निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
12. प्रमुख सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन।
13. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
15. **समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।**
16. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।**
17. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
अनु सचिव।